

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-9552 / 8086-87

दिनांक : 02-11-2020

सेवा में

1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक ।
2. वन मण्डल अधिकारी, रोहतक ।

विषय : Diversion of 0.0291 ha. of forest land for access to retail outlet of IOC Ltd. along Rohtak-Madina road (old NH 10) km. 89.475, R/side, at Village Madina Gindhran, under forest division and District Rohtak, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/45874/2020

संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक का पत्र क्रमांक 958 दिनांक 2-9-2020 ।

विषयोक्त केस में निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण करके तुरन्त इस कार्यालय को अवगत करवाएं ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके :-

1. प्रयोक्ता एजेंन्सी की ओर से प्रस्तुत सभी चैक लिस्ट/प्रपत्रों को व0म0अ0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके ऑनलाईन पार्ट-2 के अन्त में Additional Information Details के तहत अपलोड किया जाए ।
2. वन मण्डल अधिकारी की ओर से प्रस्तुत सभी चैक लिस्टों को भी ऑनलाईन पार्ट-1 के अन्त में Additional Information Details के तहत अवश्य अपलोड किया जाए ।
3. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की गई सी0ए0 साईट की के0एम0एल0 फाईल ठीक नहीं है । कृपया सी0ए0 साईट की ठीक के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन पोर्टल पर प्रोपर लिंक के तहत पुनः अपलोड करें ।
4. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया सी0ए0 साईट का डी0जी0पी0एस0 मैप ठीक नहीं है । कृपया सी0ए0 साईट का ठीक डी0जी0पी0एस0 मैप ऑनलाईन पोर्टल पर प्रोपर लिंक के तहत पुनः अपलोड किया जाए ।
5. सी0ए0 स्कीम पुराने नार्मज पर आधारित है । कृपया सी0ए0 स्कीम वर्तमान में प्रचलित नार्मज के अनुसार पुनः बनाकर भेजें और ऑनलाईन पोर्टल पर प्रोपर लिंक के तहत अपलोड करें । वायलेशन के फलस्वरूप एफ0सी0ए0 के केसों में वर्तमान में पैनल सी0ए0 का प्रावधान नहीं है अपितु Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के तहत पैनल्टी इत्यादि की कार्यवाही की जानी है जिसका उल्लेख प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति में किया जाता है । इसलिए सी0ए0 स्कीम में पैनल सी0ए0 शामिल न किया जाए ।
6. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र पर उपायुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं । कृपया उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एफ0आर0ए0 ऑनलाईन पार्ट-1 के अन्त में Additional Information Details के तहत अपलोड किया जाए ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

पू0क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-9552 / 8088

दिनांक : 02-11-2020

एक प्रति Senior Manager (Retail Sales), IOC Ltd., Hisar को प्रेषित है ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।